निगरानी 921-I-15

273

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

श्रीमति नीतू गुप्ता पत्नि राजकुमार गुप्ता
निवासी चन्द्रनगर तह. राजनगर जिला छतरपुर ......निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. धूराम तनय दशरथ अहिरवार (तरमीम)
2. नत्थू तनय बंदी गडरिया (तरमीम)
3. म.प्र.शासन ....अनावेदकगण

निवासी ग्राम शिवराजपुर तह राजनगर जिला छतरपुर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर छतरपुर के आदेश दिनांक 23/03/15 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रही है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम शिवराजपुर भूमि खसरा क्र 21,22,25 रकवा क्रमशः 0.344, 0.308, 1.325 है भूमि निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 7/1/14 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से संपूर्ण प्रतिफल अदा कर अनावेदक क्र 1 से क्रय कर मालकाना हक व कब्जा प्राप्त किया था परंतु अनावेदक क्र 2 द्वारा एक आवेदन पत्र अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष प्रकरण को निगरानी में दर्ज कर कार्यवाही किए जाने हेतु प्रस्तुत किए जाने पर अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा विधि विपरीत तरीके से विधि विरूद्व आदेश पारित किया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता की यह निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

2. यह कि, अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विपरीत रूप से उपयोग करते हुए विधि विपरीत आदेश पारित किए है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

3. यह कि, म.प्र.भू राजस्व संहिता में हुए नवीन संशोधन के उपरांत माननीय राजस्व मंडल के अतिरिक्त अन्य किसी राजस्व न्यायालय को आवेदन पत्र के आधार पर प्रकरण को निगरानी में दर्ज कर उसे सुने जाने का व उसमें किसी भी प्रकार का कोई आदेश पारित करने का कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है परंतु अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर मनमाने तौर पर बिना किसी क्षेत्राधिकार के अपना विधि विरूद्व आदेश पारित किया है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश –ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक ......R...921 एक/15..........जिला ....छतरपुर..........

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-10-16	1– आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री नितेन्द्र सिंधई उपस्थित तथा अनावेदक अधिवक्ता एंव शासन पक्ष से पैनल अधिवक्ता उपस्थित। उभय पक्ष के तर्क सुने। यह निगरानी अपर कलेक्टर छतरपुर जिला छतरपुर म0प्र0 के प्र.क्र. 750/अ–19 (4)/वर्ष 07–08 में पारित आदेश दिनांक 23/3/15 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। 2– आवेदक का तर्क है कि ग्राम शिवराजपुर स्थित भूमि खसरा क्र 21, 22, 25 रकवा क्रमशः 0. 344, 0.308, 1,325 हे भूमि अनावेदक धूराम तनय दशरथ अहिरवार को शासन के प्राप्त भूमि थी जिसको आवेदक द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 7/1/2014 के माध्यम से क्रय कर मालकाना हक व हिस्सा प्राप्त किया था तथा राजस्व अभिलेख में उक्त विक्रय पत्र के आधार पर आवेदक का नामांतरण स्वीकृत किया गया था, परंतु एक झूठे शिकायती आवेदन पत्र के आधार पर अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा क्षेत्राधिकारिता एंव विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर प्रकरण को स्वप्रेरणा निगरानी में पंजीबद्व कर विधि विपरीत आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्व आवेदक द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है। 3– आवेदक का तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन म.प्र. कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदाय किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत धूराम के पक्ष में कर उसे भूमिस्वामी घोषित किया गया था जिसको अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा स्वप्रेरणा में लेकर निरस्त कर दिया गया था जिसके उपरांत माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश दिनांक 16/12/1993 के पालन में अनुविभागीय अधिकारी राजनगर द्वारा धूराम के पक्ष	

निग. 921- I/15 (छतपुर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा... आदि के हस्ता...
	किया व्यवस्थापन पट्टा बहाल किया गया। तथा निजी कार्य हेतु धन की आवश्यकता होने पर धूराम द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय आवेदक को किया गया था। उनके द्वारा यह भी तर्क में बताया गया कि अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा आवेदक को जो कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था वह संहिता की धारा 165 (7) ख के उल्लंधन के सबंध में दिया गया था, परंतु अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण में उक्त धारा के अंतर्गत कार्यवाही ना कर मनमाने तौर पर आदेश पारित किया है, उनका तर्क है कि संहिता की धारा 165 (7) ख के अनुसार बिना कलेक्टर की स्वीकृति के कोई पटटेदार अपनी भूमि को विक्रय नहीं कर सकता है, पंरतु संहिता की धारा 158 (3) में यह व्यवस्था दी गयी है कि पटटेदार को 10 वर्ष बाद भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त होने के बाद अपनी भूमि का विक्रय बिना कलेक्टर की अनुमति के भी कर सकता है। साथ ही साथ उनका यह भी तर्क है कि उनके द्वारा अपर कलेक्टर के न्यायालय में प्रकरण के प्रचलनशीलता के संबंध में अपत्ति ली गयी थी परंतु उसका भी अपर कलेक्टर द्वारा कोई निराकरण नहीं किया गया है। 4— आवेदक द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि अनुविभागीय अधिकारी राजनगर का आदेश दिनांक 26/6/1998 एक अपीलीय आदेश था जिस कारण से अपर कलेक्टर छतरपुर को मात्र एक शिकायती आवेदन पत्र के आधार पर प्रकरण को स्वप्रेरणा निगरानी के अंतर्गत पंजीबद्व कर आदेश पारित करने का कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था। उनका यह भी तर्क है कि स्वप्रेरणा की शक्तियों का प्रयोग समय सीमा के अंदर किया जाना चाहिए परंतु अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा अत्याधिक लंबी समय अवधि पश्चात् स्वप्रेरणा की शक्तियों का प्रयोग किया गया जो विधिक प्रावधान अनुसार नहीं है। 5— आवेदक का तर्क है कि पंजीकृत विक्रय पत्र जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित नहीं किया जाता तब तक राजस्व न्यायालय पंजीकृत विलेख के आधार पर नामांतरण किए जाने हेतु बाध्य है जैसा कि 1984 रा.नि. पेज 5 एंव 2011 रा.नि.	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	पेज 193 मान्य किया गया है। उपरोक्त आधारों पर उनके द्वारा यह निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है। 6– उभय पक्ष के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा प्रस्तुत दस्तावेजों एंव आदेशों का अवलोकन किया। प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 7/1/14 के माध्यम से क्रय की गयी है। अपर कलेक्टर छतरपुर के आदेश पत्रिका के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उनके द्वारा शिकायती आवेदन पत्र के आधार पर प्रकरण स्वप्रेरणा निगरानी में पंजीबद्व किया गया था जबकि अनुविभागीय अधिकारी राजनगर द्वारा पारित आदेश 26/6/1998 एक अपीलीय आदेश था जैसा कि 1987 आर.एन.पेज 281 में मान्य किया गया है। अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा प्रकरण को स्वप्रेरणा निगरानी में लिया गया है राजस्व निर्णय 1999 पेज 363 मोहन तथा अन्य विरूद्व म.प्र.राज्य में यह मत प्रतिपादित किया गया कि स्वप्रेरणा की कार्यवाही युक्तियुक्त समय के भीतर की जाना चाहिए तथा एक वर्ष की अवधि अयुक्तियुक्त हो सकती है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट केसेज 1994 राजाचन्द्र बनामयुनियन ऑफ इंडियाएस.एस.सी.44 में यह मत निर्धारित किया है कि स्वप्रेरणा निगरानी की प्रक्रिया समय सीमा में की जाना चाहिए। माननीय उच्च न्याया. न्यायधीश एस.के.गंगेले ने वर्ष 2013 में प्रकरण आनुधिक ग्रह निर्माण सहकारी समिति मार्या. वि म.प्र.राज्य तथा अन्य रे.नि. 2013 पृष्ठ 8 में भी 180 दिन के बाहर ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है प्रतिपादित किया है। जहां तक प्रश्न संहिता की धारा 165 (7) ख के उल्लंधन का है भूमि का अंतरण पट्टा प्राप्त होने की 10 वर्ष की अवधि पश्चात् किया गया है ऐसी स्थिति में पटटेदार को भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त होने के बाद किया गया अंतरण अवैघ नहीं माना जा सकता है। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरान्त प्रकरण की अद्यतन स्थिति के परिप्रेक्ष्य में आवेदक का अनुरोध स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत	

निग.- 921- I/15 (छतरपुर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि० आदि के हस्ताक्षर
	होता है । 7— उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर छतरपुर का आदेश दिनांक 23/3/15 निरस्त किया जाता है परिणामतः राजस्व अभिलेख में आवेदिका का नाम दर्ज किया जाकर यह निगरानी स्वीकार की जाती है। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	